फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा

– प्रार्थी

बनाम

मैसर्स श्रीनाथ पॉवर टूल्स एण्ड हार्डवेयर, प्रो0 श्री मनीषकुमार सुथार पुत्र शिवलाल सुथार तहसील रोड, नाथद्वारा जिला राजसमन्द व 130, वार्ड नं0 24 गायरियों की मांगरी, फोज बस्ती के सामने नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

–ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन पत्रावली संख्या 31/2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.09.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने दिनांकः 11.07.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा द्वारा मैसर्स श्रीनाथ पॉवर टूल्स एण्ड हार्डवेयर, प्रो0 श्री मनीषकुमार सुथार पुत्र शिवलाल सुथार तहसील रोड, नाथद्वारा जिला राजसमन्द व 130, वार्ड नं0 24 गायरियों की मांगरी, फोज बस्ती के सामने नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द को राशि रूपये 7,00,000/– का ऋण/सुविधा स्वीकृति किया था इस हेतु ऋणी/ऋणियो/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः–चल सम्पत्तिः–दृष्टिबंधक स्टाक एण्ड पॉवर टूल्स। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.03.2018 को अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में वगीकृत कर दिया गया था बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 18.03.2019 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि दिनांक 14.03.2019 को रूपये 9,80,101/– ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभुत आस्ति को अपने कब्जे या नियत्रंण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। गिरवीकृत सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है, का पता निम्न है–चल सम्पत्तिः–दृष्टिबधंक स्टाक । इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है। मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 18.03.2019 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं पोस्ट आफिस की डीलेवरी रिपोर्ट की प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बस स्टेण्ड, नाथद्वारा द्वारा मैसर्स श्रीनाथ पॉवर टूल्स एण्ड हार्डवेयर, प्रो0 श्री मनीषकुमार सुथार पुत्र शिवलाल सुथार तहसील रोड, नाथद्वारा जिला राजसमन्द व 130, वार्ड नं0 24 गायरियों की मांगरी, फोज बस्ती के सामने नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्दको राशि रूपये 7,00,000/– का ऋण स्वीकृति किया था उक्त ऋणी/जमानतदार से बैंक को राशि 9,80,101/– दिनांक 14.03.2019 तक वसूल करना हैं। ऋणी/जमानतदार ने चल सम्पत्तिः– दृष्टिबधंक, स्टाक सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित सृजित किया है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बस स्टेण्ड, नाथद्वारा जिला राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द